

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज, उ०प्र०।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण-वितरण अधिकारी,

मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर, फतेहपुर, हमीरपुर, वाराणसी, बलिया, खीरी, अयोध्या, ललितपुर,
महराजगंज, सन्तरविदासनगर तथा कन्नौज।

आवटन

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515001010300

संख्या-1/246/2020-1/02/2020 : लखनऊ: दिनांक 09 सितम्बर, 2020

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-03-जिला पंचायत प्रशासन की मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-21/2020/821/33-3-2019-100(3)/2017 दिनांक 03.04.2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-14 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि से मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार ₹०-3,50,38,323/- (₹० तीन करोड़ पचास लाख अड़तीस हजार तीन सौ तेइस मात्र) धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018-मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-03-जिला पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
10. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
11. बी०एम०-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
12. यदि बी०एम०-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।

13. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

14. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।


15. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।

16. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें-

1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. वर्ष 2020-21 में समर्पण यदि कोई हो तो उसकी सूचना दिनांक 15.03.2021 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-71 पर अंकित है।
संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/246/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-09/09/2020

प्रेषण संख्या:- 1-246-2020-01-02-2020
आवंटन आदेश संख्या:- 004-01-02-2020
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
03 - जिला पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 01-वेतन | 03-मंहगाई भत्ता | 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व | 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 49-चिकित्सा व्यय | 55-मकान किराया भत्ता | योग |
|-------|--|-----------------|--------------------|-------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01- | वर्तमान प्रगामी | 2645037 4549718 | 578656 902452 | 0 20000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 271469 414320 | 3495162 5886490 |
| 2 | अलीगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01- | वर्तमान प्रगामी | 0 2702450 | 0 459417 | 0 20000 | 0 0 | 1000 1000 | 0 0 | 0 202684 | 1000 3385551 |
| 3 | मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01- | वर्तमान प्रगामी | 2300111 4589200 | 391019 780164 | 0 20000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44558 216240 | 2735688 5605604 |
| 4 | बिजनौर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01- | वर्तमान प्रगामी | 2552980 4065600 | 422107 679252 | 0 20000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 113447 | 2975087 4878299 |
| 5 | फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01- | वर्तमान प्रगामी | 0 2368660 | 0 402672 | 0 20000 | 0 0 | 0 0 | 24056 48112 | 0 177650 | 24056 3017094 |
| 6 | हमीरपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01- | वर्तमान प्रगामी | 3098332 7036672 | 520847 1184495 | 0 20000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6999 76999 | 3626178 8318166 |
| 7 | वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01- | वर्तमान प्रगामी | 0 2213844 | 0 376353 | 0 20000 | 0 0 | 0 0 | 46385 46385 | 0 166038 | 46385 2822620 |
| 8 | बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01- | वर्तमान प्रगामी | 2943793 5480756 | 489875 921159 | 0 20000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 190272 | 3433668 6612187 |
| 9 | लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01- | वर्तमान प्रगामी | 4214690 7849604 | 701231 1319166 | 30110 80110 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 113481 386100 | 5059512 9634980 |
| 10 | अयोध्या-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01- | वर्तमान प्रगामी | 3216956 5652070 | 546885 960854 | 0 20000 | 36000 36000 | 0 0 | 0 26700 | 13835 196469 | 3813676 6892093 |
| 11 | ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01- | वर्तमान प्रगामी | 1276089 3287723 | 219667 561645 | 0 20000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 150873 | 1495756 4020241 |

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 01-वेतन | 03-मंहगाई भत्ता | 16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व | 19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 49- चिकित्सा व्यय | 55-मकान किराया भत्ता | योग |
|-------|---|-----------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | महाराजगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 2436989 4109424 | 410765 695079 | 0 20000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 125433 | 2847754 4949936 |
| 13 | संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 3605259 5992700 | 718069 1123934 | 0 20000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38722 217780 | 4362050 7354414 |
| 14 | कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01- | वर्तमान प्रगामी | 959274 1695900 | 163077 288303 | 0 20000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 55247 | 1122351 2059450 |
| | योग | वर्तमान प्रगामी | 29249510 61594321 | 5162198 10654945 | 30110 340110 | 36000 36000 | 1000 1000 | 70441 121197 | 489064 2689552 | 35038323 75437125 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ पचास लाख अड़तीस हजार तीन सौ तेइस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ चौवन लाख सैंतीस हजार एक सौ पच्चीस

(बृजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी